प्रेस-नोट
दिनांक 30.05.2025

आगामी त्यौहार बड़े मंगल व बकरीद को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने हेतु पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ की गई गोष्ठीः-

थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक करने व त्यौहार में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के दिए निर्देशः-

पुलिस लाइन सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद में आगामी त्यौहार बड़े मंगल एवं बकरीद को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी की गयी। गोष्ठी के दौरान महोदय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि त्यौहार रजिस्टर का परिशीलन कर विगत वर्षों में हुए विवाद तथा संवेदनशीलता के आधार पर हॉटस्पाट चिन्हित कर लिया जाय। ऐसे सभी स्थानों का संवेदनशीलता के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भ्रमण कर समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। किसी भी गैर परम्परागत आयोजन की अनुमति प्रदान न दी जाए । थाने पर उपलब्ध रजिस्टर नं0-08 की प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाए । असामाजिक साम्प्रदायिक तत्वों की सूची को अद्यावधिक कर लिया जाए और तदानुसार आवश्यकता पड़ने पर इन साम्प्रदायिक एवं अवॉछनीय तत्वों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाए । समस्त अधिकारीगणों को निर्देशित किया गया की फरियादियों से विनम्र व्यवहार रखते हुए उनकी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करें तथा उनसे समन्वय के माध्यम से जनता का विश्वास अर्जित करे व माफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। आगामी बकरीद के दृष्टिगत खुले स्थानों में कुर्बानी नहीं होगी । धार्मिक स्थालों के निकट तथा सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी के अवशेषों को डाले जाने के प्रयासों को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये । महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि धर्मगुरुओं व सम्भ्रान्त नागरिकों के साथ गोष्ठी अवश्य कर ली जाये । बकरीद का त्यौहार शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु लोगों को प्रेरित किया जाए तथा सार्वजनिक मार्गों को अवरोध कर नमाज पढ़ने हेतु मना किया जाए । आगामी सप्ताह में सर्राफा मार्केट के आने व जाने वाले महत्वपूर्ण रास्तों पर बैरिकेटिंग लगाकर चेकिंग करें तथा त्यौहारों के दृष्टिगत फुट पैट्रोलिंग को और अधिक प्रभावी किया जाए। सभी राजपत्रित अधिकारी भी फुट पैट्रोलिंग में शामिल हो एंव संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिदिन पैदल गश्त की जाए। महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए सादे में पुलिस कर्मी एवं महिला पुलिस की संयुक्त टीमों को लगाया जाए। महोदय द्वारा स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों को और अधिक सक्रिय रहकर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सूचनाओं की जानकारी करने हेतु निर्देशित किया गया तथा प्रभारी मीडिया सेल को अपने निकट पर्यवेक्षण में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिवटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक सूचना प्रसारित होने पर विधिक कार्यवाही करते हुए तत्काल उसका प्रभावी खण्डन करवाने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाए तथा आपराधिक किस्म के व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जाए एवं आवश्यकतानुसार निरोधात्मक/विधिक कार्यवाही की जाए। साम्प्रदायिक/हॉटस्पाट्स क्षेत्रों पर पुलिस पिकेट को आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनाती की जाए।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, प्रज्ञान निरीक्षक सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें।
मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 30.05.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पूर्व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री सौरभ वर्मा के गैर जनपद स्थानांतरण पर विदाई समारोह का किया गया आयोजन, प्रतीक चिन्ह व माला पहना उज्जवल भविष्य की दी गई शुभकामनाए।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा क्षेत्राधिकारी करनैलगंज के पद पर तैनात रहे श्री सौरभ वर्मा का गैर जनपद स्थानांतरण होने पर रिजर्व पुलिस लाइन, गोंडा के सभागार कक्ष में एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी सहित जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण, थाना प्रभारीगण एवं अन्य पुलिसकर्मीगण उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्री सौरभ वर्मा को प्रतीक चिन्ह व माला पहना कर सम्मानित किया गया तथा उनके आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी गई। अपने कार्यकाल के दौरान श्री सौरभ वर्मा द्वारा कानून व्यवस्था के कुशल प्रबंधन, जनता से संवाद एवं अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। विदाई समारोह के दौरान सभी ने उनके सरल, कर्मठ एवं प्रेरणादायक व्यक्तित्व की सराहना की।
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि इनके जैसे अनुभवी अधिकारियों का मार्गदर्शन पुलिस विभाग के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रहेगा। उनके उज्ज्वल भविष्य की हम सब शुभकामना करते हैं।

समारोह का समापन भावनात्मक वातावरण में हुआ, जहां उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने पुलिस उपाधीक्षक श्री सौरभ वर्मा को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

मीडिया सेल, गोंडा

प्रेस नोट

दिनांक 30.05.2025, थाना खरगूपुर,

जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते समय 03 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी करने के उपकरण बरामद।

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की योजना बनाते समय 03 शातिर चोरों-01. विजय वर्मा उर्फ विन्जय वर्मा, 02. रामभवन उर्फ मिथुन वर्मा, 03. गुड्डू पुत्र परागदत्त को नौशहरा रोड गिरधर बगिया मोड़ के पास थाना खरगूपुर से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण 01 अदद लोहे का सब्बल, 01 अदद टार्च, 01 अद हथौड़ी व छेनी, 01 अदद आरी व ब्लेड़, 01 अदद लोहे की राड बरामद किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-104/2025, धारा 313 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.05.2025 को थाना खरगूपुर के उ0नि0 डोरीलाल गंगवार मय हमराह फोर्स के साथ रात्रि गस्त में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे चेकिंग के दौरान चोरी की योजना बनाते समय 03 शातिर चोरों-01. विजय वर्मा उर्फ विन्जय वर्मा, 02. रामभवन उर्फ मिथुन वर्मा, 03. गुड्डू पुत्र परागदत्त को नौशहरा रोड गिरधर बगिया मोड़ के पास थाना खरगूपुर से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण 01 अदद लोहे का सब्बल, 01 अदद टार्च, 01 अद हथौड़ी व छेनी, 01 अदद आरी व ब्लेड़, 01 अदद लोहे की राड बरामद किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-104/2025, धारा 313 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01.विजय वर्मा उर्फ विन्जय वर्मा पुत्र रामविशुन उर्फ प्रधाने निवासी ग्राम बाबा इटहिया थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

02. रामभवन उर्फ मिथुन वर्मा पुत्र रामविशुन उर्फ प्रधाने निवासी ग्राम बाबा इटहिया थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

03. गुड्डू पुत्र परागदत्त निवासी ग्राम बाबा इटहिया थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-104/2025, धारा 313 बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद लोहे का सब्बल
02. 01 अदद टार्च
03. 01 अद हथौड़ी व छेनी
04. 01 अदद आरी व ब्लेड़
05. 01 अदद लोहे की राड

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 डोरीलाल गंगवार
02. हे0का0 राजकिशोर
03. हे0का0 आदित्यनाथ यादव
04. का0 विजय शंकर राय
05. का0 अमन सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.05.2025

थाना को0मनकापुर क्षेत्र अन्तर्गत बस चालक/कण्डक्टर के साथ एक राय होकर मारपीट, जानलेवा हमला करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालिवाल के नेतृत्व में थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 236/2025 धारा 191(2), 126(2), 109(1), 115(2), 352, 309(1), 324(1) बीएनएस, 07 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित नामजद 02 अभियुक्त 01. मोहित दुबे व 02. नन्दु दूबे पुत्रगण रामबालक दुबे निवासी ग्राम बोहिया मौजा जैदवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को बन्दरहा रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.05.2025 को थाना को0मनकापुर के अंतर्गत बस कण्डक्टर से किराये के विवाद को लेकर विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर ईट मारकर बस का सीसा तोड़ दिया तथा बस में घूसकर बस उसे व चालक को जान से मारने की नियत से मार-पीटा जिससे उसको गम्भीर चोटे आयी है तथा गाली गुप्ता देते हुए घण्टो आवागमन वाधित किये जिससे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे । बस परिचालक गोपी भट्ट की लिखित तहरीर पर थाना को0मनकापुर पर मु0अ0स0 236/2025 धारा 191(2), 126(2), 109(1), 115(2), 352, 309(1), 324(1) बीएनएस, 07 सीएलए एक्ट बनाम उमाशंकर दूबे आदि 03 नफर अभियुक्त व 10-12 लोग नाम पता अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त उमाशंकर दुबे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 30.05.2025 को 02 और नामजद अभियुक्तगण 01. मोहित दुबे, 02. नन्दु दूबे को बन्दरहा रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. मोहित दुबे पुत्र रामबालक दुबे निवासी ग्राम बोहिया मौजा जैदवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।
02. नन्दु दुबे पुत्र रामबालक दुबे निवासी ग्राम बोहिया मौजा जैदवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 236/2025 धारा 191(2), 126(2), 109(1), 115(2), 352, 309(1), 324(1) बीएनएस, 07 सीएलए एक्ट थाना को0मनकापुर, जनपद- गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 उमेश सिंह
02. हे0का0 संदीप यादव
03. हे0का0 प्रभाकर चौधरी
04. का0 सत्यवीर सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 30.05.2025, थाना को0तरबगंज,

जनपद गोण्डा।

थाना को0तरबगंज पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चोरी का मोटरसाइकिल व 01 अदद अवैध तमंचा मय जिन्दा कारतूस बरामद।

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा मोटरसाकिल चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तगण 01. पिन्टू उर्फ संन्दीप, व 02. ललू उर्फ अरविन्द को डुमरियाडीह सम्पर्क मार्ग पर स्थित द्रोणा एकेडमी स्कूल के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का एक अदद मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर (UP43AY2821) व 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-162/2025, धारा 317(2), 317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 30.05.2025 को थाना तरबगंज के उ0नि0राहुल प्रताप सिंह मय हमराह फोर्स के साथ रात्रि गस्त में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि तरबगंज डुमरियाडिह सम्पर्क मार्ग पर स्थित द्रोणा एकेडमी स्कूल के पास चेकिंग के दौरान 02 मोटरसाइकिल चोर -01. पिन्टू उर्फ सन्दीप, व 02. ललू उर्फ अरविन्द को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का एक अदद मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर (UP43AY2821) व 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-162/2025, धारा 317(2), 317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाकर मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं। अभियुक्तो द्वारा बताया गया की इनके द्वारा दिनांक 26.05.2025 को थाना इटियाथोक क्षेत्र के अन्तर्गत एक मोटरसाइकिल स्पेलड़ंर प्लस चोरी किए थे। जिसके सम्बन्ध में थाना इटियाथोक पर अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. पिन्टू उर्फ सन्दीप पुत्र जीवनलाल निवासी मौजा पूरे नारी भट्टा गांव थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
02. ललू उर्फ अरविन्द पुत्र संतोखी निवासी ग्राम लोनियनपुरवा दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-162/2025, धारा 317(2), 317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना तरबगंज, गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-117/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर (UP43AY2821)
02. 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस12 बोर।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह
02. उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव
03. हे0का0 शैलेन्द्र यादव,04. हे0का0 इमरान अली,05. हे0का0 अजय सिंह, 06. का0 प्रदीप मौर्य

मीडिया सेल, गोण्डा।